	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 29, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 21, *2024*	
	Asvina 29, Monday, Saka 1946- October 21, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2024

जी.एस.आर.57 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष **अनुभाग-III कृषि अभियांत्रिकी** के क्रम संख्यांक 7 के अधीन विद्यमान मद (iv) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

(iv)	ड्राइवर	10%	90%	विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्य	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का	-

					1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2. यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।	अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2. यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।	

"

[सं.एफ.2(6)डीओपी/ए-2/2021]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 16, 2024

G.S.R.57 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Agriculture Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978, the existing item (iv) of serial number 7 and entries thereto

under head **Section-III-Agriculture Engineering** shall be substituted by the following, namely:-

"

(iv)	Driver	10%	90%	Member of Class IV service of the department.	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1. Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority.	-

"

[No.F.2(6)DOP/A-2/2021]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.